

प्रेस -नोट
थाना सीपरी बाजार, झाँसी

दिनांक 07.10.2026

- ❖ जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,
- ❖ थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा 05 घण्टे के भीतर हत्या के अभियोग से संबंधित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार,
- ❖ कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर(हत्या में प्रयुक्त), 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ के कुशल मार्गदर्शन व पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 07.10.2026 को थाना सीपरी बाजार पर हत्या से संबंधित पंजीकृत मु0अ0सं0 470/2026 धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त 1. कमल पुत्र लक्ष्मण निवासी खोड़न थाना सीपरी बाजार, झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष को **05 घण्टे के भीतर** पुलिस मुठभेड़ के दौरान झाँसी एम्पायर के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान अभियुक्त कमल उपरोक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार पर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 07.10.2026 को समय करीब 17.44 बजे वादी श्री सोनू रायकवार पुत्र भगवान दास द्वारा थाना सीपरी बाजार पर प्रार्थना-पत्र देते हुए अवगत कराया कि समय करीब 15.00 बजे जब उसका भाई मोनू रायकवार घर आया तो उसने देखा कि उसकी भतीजी चंचल उम्र करीब 19 वर्ष मृत अवस्था में खून से लथपथ पड़ी हुई है और रास्ते में कमल रायकवार पुत्र लक्ष्मण हाथ में तमंचा लेकर जाते हुए मिला जो मुझसे यह कर भाग गया कि जाओ अपनी भतीजी को देखो मैंने उसे गोली मार दी है।

सूचना पर थाना सीपरी बाजार पुलिस तत्काल मौके पर पहुँचकर मृतका के शव को कब्जों में लिया गया। मृतका के पिता से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर मृतका के पिता सोनू द्वारा बताया गया कि एक युवक उनकी पुत्री से प्रेम करता था तथा परिजनों द्वारा शादी अन्यत्र तय किए जाने से नाराज था। मृतका के पिता को आशंका है कि उक्त युवक दीवार के सहारे पिछले रास्ते से घर में घुसा और युवती की गोली मारकर हत्या कर मौके से फरार हो गया।

उच्चाधिकारियों एवं थाना पुलिस द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्ट्या मामला फायर आर्म इंजरी का प्रतीत हो रहा है, शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। प्रकरण में वादी से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर मु0अ0सं0*- 470/2026 धारा 103(1) बीएनएस के

अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 07.10.2026 को समय 20.54 बजे थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी थी, जिसमें जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से अभियुक्त घायल हो गया। घायल अभियुक्त को जीवनरक्षार्थ हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस मुठभेड़ एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सीपरी बाजार पर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण –

1. कमल पुत्र लक्ष्मण निवासी खोड़न थाना सीपरी बाजार, झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1. 01 तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक थाना सीपरी बाजार मय टीम